पत्र संख्या–वि0व0संग्रह/2020–21/ 2021050 894 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊः: दिनांकः: 04, मार्च, 2021

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर**
**वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या– 238/11–2–2021–9(21)/2003, दिनांक 03 मार्च, 2021 द्वारा वाणिज्य कर के बकायेदारों के हित में **'ब्याज माफी योजना–2021'** शासनादेश की तिथि से तीन माह तक की अवधि के लिए लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली–1997 में दिनांक 31.12.2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मांग पर लम्बित ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना लागू की गयी है।

योजना के सफल कियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु निम्नवत कार्य योजना/कार्य वितरण किया जाता है–

1. **अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक :–**

विभागीय वसूली के 20 जनपदों में प्रत्येक अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त बकायेदारों के वसूली प्रमाण पत्र की सूची खण्ड/ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) कार्यालय से प्राप्त कर बकायेदार व्यापारियों को योजना से भलीभॉति अवगत करायेंगे तथा योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे। तात्पर्य यह है कि उपरोक्त समस्त कर्मचारीगण अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत जन सम्पर्क अभियान के माध्यम से योजना का विस्तृत प्रचार–प्रसार एवं व्यापारियों को प्रेरित करेंगे। इस आशय का एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें सम्बन्धित बकायेदार का नाम, पता, अद्यतन दूरभाष संख्या, फर्म का नाम, वसूली प्रमाण पत्र संख्या वर्ष एवं निहित मूलधन, ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि आदि का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा।

इनके इस कार्य का पर्यवेक्षण सम्बन्धित खण्ड के खण्डाधिकारी एवं कर वसूली अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. **डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी :–**

अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक के पर्यवेक्षणीय कार्य के अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि योजना लागू होने के प्रथम सप्ताह में ही कार्यालय के समस्त वसूली प्रमाण पत्र उपरोक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र अपने **जोनल एडीशनल कमिश्नर** को प्राप्त करायेंगे कि उनके पास अब कोई अवशेष वसूली प्रमाण पत्र नहीं है। अपने क्षेत्राधिकार में व्यापारियों एवं व्यापारी संगठनों से सम्पर्क कर योजना के लाभ से अवगत करायेंगे।

वसूली के 55 राजस्व जनपदों में समस्त कर निर्धारण अधिकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे एवं राजस्व विभाग को योजना लागू होने के प्रथम सप्ताह में ही

समस्त वसूली प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करायेंगे। **विशेष रूप से वैट एवं पूर्व की व्यवस्था से GST में एक्टिव माइग्रेटेड बकायेदार व्यापारियों की सूची पूर्ण पते/बैंक एकाउण्ट आदि के पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिलाधिकारी के लिए उपलब्ध विभागीय पोर्टल पर उपरोक्त प्रकार की समस्त वसूली प्रमाण पत्र दृष्टव्य हो।** इस आशय का प्रमाण पत्र अपने **जोनल एडीशनल कमिश्नर** को प्राप्त करायेंगे। जिला प्रशासन द्वारा वाहन के लिए अनुरोध पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. **ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट)/कर वसूली अधिकारी** :–

समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट) अपने कार्यालय के समस्त बकायेदारों से समन्वय/सम्पर्क स्थापित करेंगे एवं बकायेदारों को योजना के लाभ से अवगत कराते हुए योजना में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित करेंगे।

समस्त कर वसूली अधिकारी अपने जनपद के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अमीन/पर्यवेक्षक/संग्रह अधीक्षक की रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह गोपनीय रूप से **जोनल एडीशनल कमिश्नर** को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अथवा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेंगे कि उपरोक्त प्रत्येक कर्मचारी द्वारा किया जा रहा कार्य सन्तोषजनक है। कर वसूली अधिकारियों के इस कार्य का पर्यवेक्षण सीधे **जोनल एडीशनल कमिश्नर** द्वारा किया जाएगा।

4. **ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक)**:–

खण्डाधिकारी, कर वसूली अधिकारी, अमीन, पर्यवेक्षक एवं संग्रह अधीक्षक के निर्धारित कार्यों का अनुश्रवण करेंगे। राजस्व विभाग द्वारा वसूली के जनपदों में जिलाधिकारी के उपलब्ध विभागीय पोर्टल खण्ड के समस्त वसूली प्रमाण पत्र को अंकन सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी निर्देश का अनुश्रवण करेंगें।

योजना के अंतर्गत जमा धनराशि का दैनिक अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगें एवं दैनिक प्रगति से जोनल एडीशनल कमिश्नर को अवगत करायेंगे। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का नाम साप्ताहिक रुप से सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा स्थापित किये गये **'हेल्प डेस्क'** पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के कार्य एवं व्यवहार को सुचारु रुप से व्यवस्थित करेंगे।

5. **समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील) लखनऊ**:–

जैसा कि विदित है कि समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, लखनऊ को विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों, निगमों एवं उपक्रमों के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि आवंटित विभागों के बकाये हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करेंगे तथा योजना से अवगत कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र बकाया धनराशि जमा कराने का प्रयास करेंगे।

6. **एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1**:–

- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर प्रत्येक लोकेशन पर ब्याज माफी योजना– 2021 हेतु तत्काल **हेल्प डेस्क** समस्त खण्डों के लिए स्थापित करेंगे। हेल्प डेस्क पर एक राजपत्रित अधिकारी के साथ वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे। ***आगन्तुक इच्छुक व्यापारी को बकाया सम्बन्धी समस्त सूचना उपलब्ध करायेंगे एवं आनलाईन आवेदन में सहायता करेंगे।***
- ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट) द्वारा ब्याज माफी योजना से सम्बन्धित किये गये कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करेंगे।

- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्य/उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट्स का अनुश्रवण करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- व्यापारिक/अधिवक्ता संगठनों के साथ बैठक कर योजना से अवगत कराना एवं व्यापारियों को प्रेरित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करेगें।
- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ब्याज माफी योजना–2021 के सफल कियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार के कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रयास, जो उचित एवं आवश्यक समझें, को लागू करेगें। जिससे अधिकाधिक राजस्व की अभिवृद्धि सम्भव हो सके।
- विभागीय पोर्टल http://comtax.up.nic.in पर **"ब्याज माफी योजना –2021"** के लिंक पर व्यापारी द्वारा आनलाईन योजना के लिए आवेदन किये जायेंगे।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

-ह0-

**(अमृता सोनी)**
**कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ**

**पृ0 पत्र संख्या व दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, (अपील), लखनऊ/समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट) को सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से।
2. समस्त कर निर्धारण अधिकारी/कर वसूली अधिकारी एवं राजस्व जनपद के नोडल अधिकारियों को ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के माध्यम से।
3. समस्त संग्रह अमीन/पर्यवेक्षक/अधीक्षक को सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर (कर वसूली) के माध्यम से।
4. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।